झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–691/2014 का०–5530/राँची, दिनांक 28 अगस्त, 2024

श्रीमती सुनीता चौरसिया, तत्कालीन अंचलाधिकारी, भरनो, श्री लाल मोहन नायक, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भरनो एवं अन्य के विरूद्ध श्री चक्रधारी प्रसाद, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, गुमला के पत्र, दिनांक 01.10.2012 द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें निम्न आरोप लगाया गया–

(क) उक्त अंचलाधिकारी, भरनो अंचल द्वारा गलत रिपोर्ट 105(ii)आर/22.09.08 दिया गया है।

(ख) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भरनो प्रखण्ड द्वारा नरेगा अन्तर्गत कुआँ का स्कीम नं0–60/2006–07 को बनाने का खर्च बीच में ही रोक दिया गया, जबकि अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा कुआँ बनवा दिया गया।

(ग) संबंधित ग्राम सेवक, श्री धनेश्वर साहु एवं पंचायत पर्यवेक्षक, श्री चन्द्रदेव सिंह द्वारा नरेगा कुआँ स्कीम नं0–60/2006–07 का नापी 2009 में कर गलत रिपोर्ट 41/09, दिनांक 22.05.2009 दिया गया।

उक्त परिवाद पत्र पर विभागीय पत्रांक–12700, दिनांक 12.11.2012 द्वारा उपायुक्त, गुमला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उपायुक्त, गुमला द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला से कराते हुए पत्रांक–1151(ii)/स्था0, दिनांक 24.09.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी के विरूद्ध संलिप्तता अथवा बदनीयती परिलक्षित नहीं होता है।

अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–11480, दिनांक 29.11.2013 द्वारा उपायुक्त, गुमला से स्पष्ट मंतव्य/अनुशंसा की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–1218, दिनांक 17.12.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में अंकित किया गया है कि–

"जाँच प्रतिवेदन के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस मामले में अंचल निरीक्षक, भरनो के द्वारा जमीन संबंधी जो प्रतिवेदन दिये गये हैं, वे स्थल जाँच, ग्रामीणों से पूछताछ एवं राजस्व कागजातों के आधार पर आधारित है तथा जमीन संबंधित ब्योरा को लाभुक के द्वारा भ्रामक बनाया गया है।

योजना प्रारम्भ करने के पूर्व पंचायत स्तर से गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हुए योजना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया तथा बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर राशि की वसूली की कार्रवाई की गयी है। ऐसी परिस्थिति में मेरा मंतव्य है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी के विरूद्ध संलिप्तता अथवा बदनीयती परिलक्षित नहीं होता है।"

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध परिवाद में लगाये गये आरोप, उपायुक्त, गुमला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मामले की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, गुमला के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित परिवाद पत्र को संचिकास्त किया जाता है।

27/8/24

(चिन्टू दोराईबुरू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–691/2014 का०–5530/राँची, दिनांक 28 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गुमला/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–2/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी पी0एम0यू0 कोषांग/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3(आरोप)/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–3 (चारित्री)/श्रीमती सुनीता कुमारी चौरसिया, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–842/03), संयुक्त सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पता– विष्णु गली, शुक्ला कॉलोनी, हिनू, राँची/श्री चक्रधारी प्रसाद, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

(12) 276 PMU